



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082022-238191
CG-DL-E-18082022-238191

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562]
No. 562]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2022/श्रावण 27, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2022/SHRAVANA 27, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 636(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा (2) के खंड (जक) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सत्ताईसवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 128 में, उपनियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(9) उपनियम (8) के खंड (i) में निर्दिष्ट प्ररूप 67 में विवरण और उपनियम (8) के खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र या विवरण, उस पूर्व वर्ष के, जिसमें उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय पर, भारत में कर का प्रस्ताव किया गया है या कर का निर्धारण किया गया है और ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई है, सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु जहां विवरणी, धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत की गई है, वहां उपनियम (8) के खंड (i) में निर्दिष्ट प्ररूप 67 में विवरण और उपनियम (8) के खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र या विवरण, उस विस्तार तक, जहां तक कि उसका संबंध अद्यतन विवरणी में सम्मिलित आय से है, उस तारीख, जिसको ऐसी विवरणी प्रस्तुत की जाती है, को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।”।

[अधिसूचना सं.100/2022/फा. सं. 370142/35/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी है, इसलिए यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तुत किए गए विदेशी कर प्रत्यय के सभी दावों को लागू होता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में का.आ. सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 634(अ), तारीख 17 अगस्त 2022 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2022

INCOME-TAX

G.S.R. 636(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ha) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax (27th Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall be deemed to have come into force from 1st day of April, 2022.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 128, for sub-rule (9) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(9) The statement in Form No. 67 referred to in clause (i) of sub-rule (8) and the certificate or the statement referred to in clause (ii) of sub-rule (8) shall be furnished on or before the end of the assessment year relevant to the previous year in which the income referred to in sub-rule (1) has been offered to tax or assessed to tax in India and the return for such assessment year has been furnished within the time specified under sub-section (1) or sub-section (4) of section 139:

Provided that where the return has been furnished under sub-section (8A) of section 139, the statement in Form No. 67 referred to in clause (i) of sub-rule (8) and the certificate or the statement referred to in clause (ii) of sub-rule (8) to the extent it relates to the income included in the updated return, shall be furnished on or before the date on which such return is furnished.”.

[Notification No. 100/2022/F. No. 370142/35/2022-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Explanatory Memorandum: This amendment is effective from the 1st day of April, 2022 so that it applies to all the claims of foreign tax credit furnished during the financial year 2022-2023. It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this rule.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R 634 (E) dated 17th August, 2022.